अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार

जोधपुर विकास प्राधिकरण

शान्ति धारीवाल
माननीय मंत्री नगरीय विकास स्वायत्त शासन
व आवासन विभाग,राजस्थान सरकार

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना

RERA Reg. no. RAJ/P/2021/1772

आवेदन पुस्तिका

औद्योगिक कुल भूखण्ड - 74
(सामान्य भूखण्ड-61, कॉर्नर भूखण्ड-13)
आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ तिथि - 27 जनवरी, 2023
आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा करवाने की अंतिम तिथि - 27 फरवरी, 2023
लॉटरी खोलने की तिथि - 10 मार्च, 2023

आवेदन पत्र शुल्क
1100/– रूपये मात्र

‘उद्योग विहार‘

उद्योग विहार योजना, सालावास जोधपुर संभाग के युवा एवं अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना में उद्योग स्थापित करने के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के द्वारा यह योजना प्रस्तुत की जा रही है। उद्योग विहार योजना जोधपुर-सालावास रोड़ पर ट्रीटमेन्ट प्लांट के पास औद्योगिक इकाइयों हेतु प्रस्तावित योजना में कुल भूखण्डों की संख्या 74 है, जिसमें सामान्य भूखण्ड 61 हैं एवं कॉर्नर भूखण्ड 13 हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक श्रमिकों एवं कामगारों हेतु छोटे आकार के आवासीय एवं अनौपचारिक व्यावसायिक भूखण्डों का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से सामान्य औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा, जिनकी संख्या घटाई बढाई जा सकती है। उद्योग विहार योजना की शर्तें, भूखण्डों की दर एवं साईज आदि बिन्दुओं की विस्तृत जानकारी एव उल्लेख इस पुस्तिका में अलग से कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में भाग लेकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित

कैलाश चन्द मीणा IAS	नवनीत कुमार RAS	जय नारायण मीणा RAS
अध्यक्ष	आयुक्त	सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण	जोधपुर विकास प्राधिकरण

Google Map

KEY PLAN

UDHYOG VIHAR YOJANA

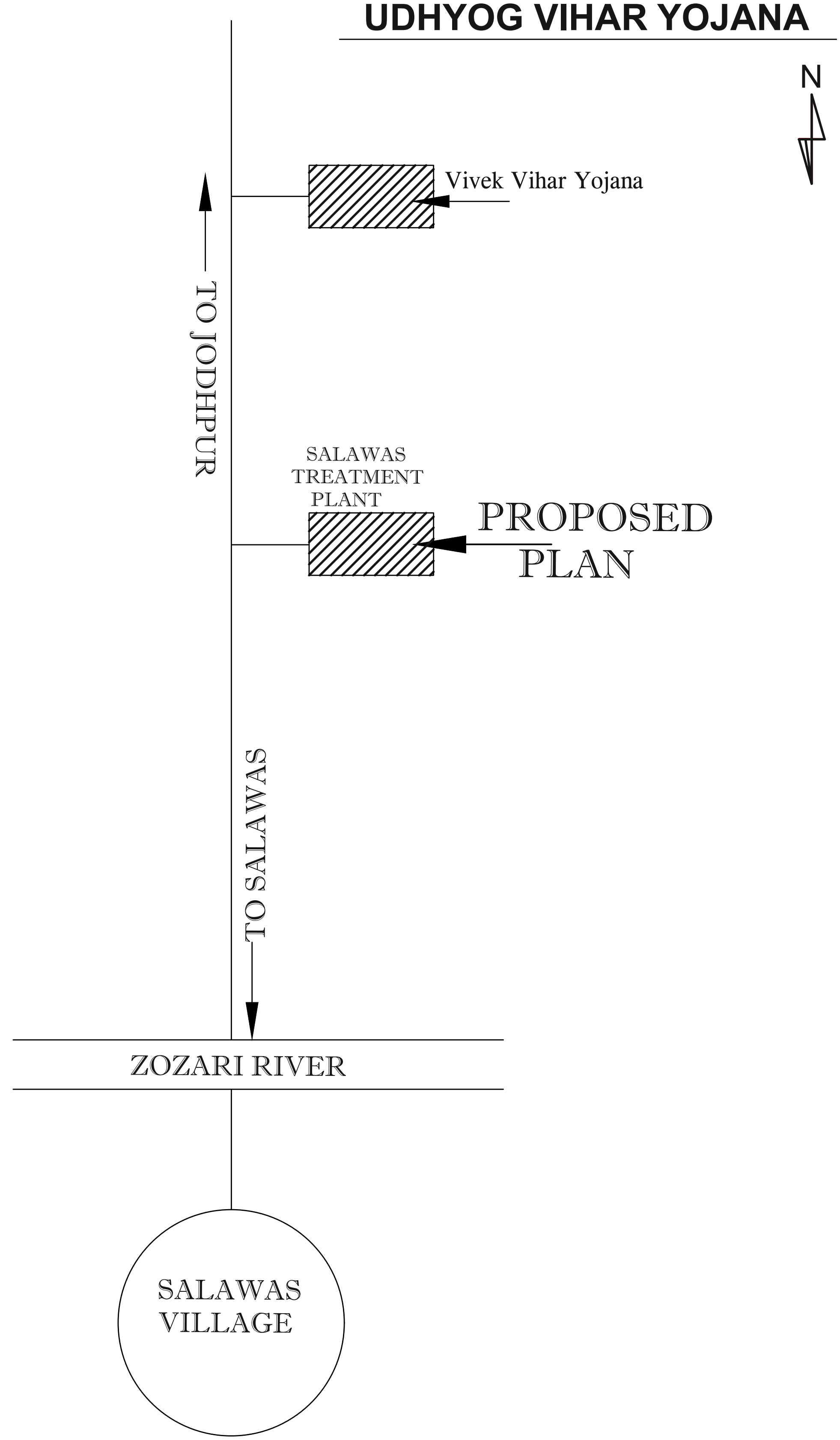

INDUSTRIAL SCHEME

TITLE : LAYOUT PLAN AT KH. NO. 95 TO 96 AT VILLAGE SALAWAS

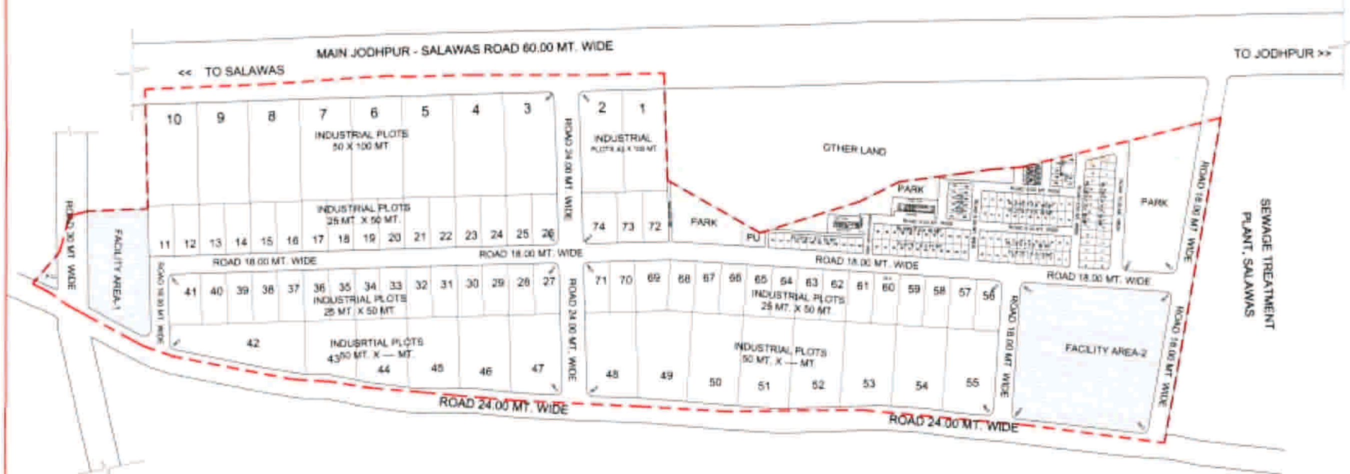

AREA ANALYSIS

LANDUSE	PERMISSIBLE LIMIT	AREA (SQMT.)	PERCENTAGE
INDUSTRIAL	40% TO 65%	167961.62	58.92%
RESIDENTIAL	5 % TO 15 %	14855.44	5.21%
INFORMAL SHOPS	3%	1188.00	0.42%
FACILITIES	5 %	26769.29	9.39%
PARK	5%	14208.46	5.04%
ROAD	BALANCE	60089.40	21.08%
TOTAL LAND AREA	100%	285072.21	100.00%

SCHEDULE OF PLOTS

S. NO.	SIZE	AREA (SQ.MT)	GENERAL	CORNER	TOTAL
INDUSTRIAL PLOTS:					
1	42M X 100M	4200	1	1	2
2	50M X 100M	5000	7	1	8
3	25M X 50M	500	43	7	50
4	50M X —M		10	4	14
	TOTAL		61	13	74
RESIDENTIAL PLOTS:					
1	7.5M X 15M	112.5	95	18	113
2	6M X 12M	72	13	8	21
3	4.5M X 9M	40.5	5	4	9
	TOTAL		113	30	143
COMMERCIAL PLOTS:					
1	3M X 3M	9	32	8	40

SCALE: 1:1500

ORIENTATION : E N S W

DWG NO. JDA/SCHEME/S/102

ATP J.D.A. JODHPUR | DTP J.D.A. JODHPUR | DY. COMM. J.D.A. JODHPUR

DIR ENGG. J.D.A. JODHPUR | DIR PLANNING J.D.A. JODHPUR

SECRETARY J.D.A. JODHPUR | J.D.C. J.D.A. JODHPUR

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र के साथ	लॉटरी के पश्चात
1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट (सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय) के साथ HDFC बैंक में जमा होगें। 2. आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, निरस्त चैक की प्रति, प्रस्तावित उद्योग से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न कर जमा करावें।	1. पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति 2. आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति 3. मूल निवास प्रमाण पत्र 4. देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/स्थानीय चैक/पै–आर्डर से भुगतान आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में किया जायेगा।

ध्यान देने योग्य बातें

1. सुरक्षित निवेश हेतु प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकसित योजना में ही निवेश करें।
2. प्राधिकरण की अनुमोदित योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
3. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
4. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
5. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तांतरण करें।
6. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
7. कोई भी भूखण्ड खरीदने के पूर्व बेचानकर्ता/विकासकर्ता/डीलर से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगे।
8. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले–आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क का भुगतान कर जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित ले–आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
9. अनुमोदित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि रूपान्तरण शाखा एवं आयोजना शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है तथा उक्त जानकारी प्राधिकरण की वेबसाईट से भी प्राप्त कर सकते हैं।

अपने राजस्थान की संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं उसकी रक्षा करें ।

जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur-rj@nic.in

www.jda.urban.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/2656356-7 Fax 0291-2615372

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur-rj@nic.in
www.jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656356-7 Fax 0291-2615372

01. प्रस्तावना

सूर्यनगरी के रूप में पहचान बना चुका जोधपुर शहर प्राचीन काल से शौर्य, पराक्रम एवं विविधता से भरी अद्‌भुत संस्कृति के रूप में राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानवीय व्यवहार में अपणायत की विशेषता लिये मारवाड़ एवं इस क्षेत्र के उद्यमियों ने विश्व भर में अपनी विशेष पहचान बनाई है। 21वीं शताब्दी में चहुंमुखी प्रगति के सोपान पर चढ़ कर जोधपुर शहर ने विकास का एक नया आयाम स्थापित किया है। जोधपुर शहर का वुडन एवं आयरन हैण्डीक्राफ्ट उद्योग आज सम्पूर्ण विश्व में अपनी गुणवता की अलग पहचान रखता है तथा वर्ष दर वर्ष निर्यात के नये आयाम स्थापित कर रहा है। जोधपुर महानगर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शहर एवं संभाग के समस्त युवा व अन्य उद्यमियों के लिये उद्योग विहार योजना शहर को समर्पित कर रहा है जो वर्तमान में हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य उद्योगों में युवावर्ग की रूचि एवं जोधपुर शहर के आशातीत विस्तार के साथ ही बढ़ रही औद्योगिक /व्यावसायिक गतिविधियों के सुनियोजित विस्तार एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकताओं को साकार करने की दिशा में नगर नियोजन की अति आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण महत्वपूर्ण योजना है । राजस्थान सरकार के नियोजित एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण विकास की नीति के निर्देशों के क्रम में योजना में पर्यावरण संरक्षण, जनसुविधाओं यथा पर्याप्त चौड़ी सड़कें, सुविधा क्षेत्र एवं पार्क इत्यादि हेतु पर्याप्त स्थल आरक्षित किये गये हैं ।

उद्योग विहार योजना जोधपुर शहर की रिंग रोड़ (200 फीट) के सांगरिया चौराहा से सालावास जाने वाली मुख्य सड़क पर राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में अवस्थित है जो मुख्य रिंग रोड़ (200 फीट) से मात्र 07 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है तथा सालावास रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। रीको औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा से 09 किलोमीटर तथा सालावास औद्योगिक क्षेत्र इसके आस–पास ही स्थापित है। उक्त योजना में विद्युत, सड़क, सीवरेज, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। उक्त योजना में सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र में पार्क एवं पारिस्थितिकीय संरक्षण हेतु सुविधा क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं। दृढ़ विश्वास है कि जोधपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक, व्यावसायिक और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही है उसमे सर्वथा नया अध्याय जोड़ने में यह योजना कारगर ही नहीं, कामयाब भी साबित होगी ।

02. व्यापक सुविधा क्षेत्र/सामुदायिक सेवायें

उद्योग विहार योजना में व्यापक सामुदायिक सुविधाओं हेतु 26769.29 वर्गमीटर (**Facilities**) भूमि क्षेत्र योजना में आरक्षित किया गया हैं, जिसमें जन सुविधायें विकसित की जानी प्रस्तावित है।

03. उद्योग विहार योजना मानचित्र में भू–उपयोग क्षेत्रफल का विश्लेषण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	प्रतिशत
1.	औद्योगिक	58.92
2.	आवासीय	5.21
3.	इन्फोर्मल शॉप	0.42
4.	सुविधायें	9.39
5.	पार्क	5.04
6.	सड़के/सर्कुलेशन	21.08
	कुल	100

04. योजना में प्रस्तावित भूखण्ड विवरण

औद्योगिक भूखण्ड

क्र.सं.	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	सामान्य भूखण्डों की संख्या	कार्नर भूखण्डों की संख्या	कुल भूखण्डों की संख्या
1	42 X 100 mtr	4200	5023.32	1	1	2
2	50 X 100 mtr	5000	5980.14	7	1	8
3	25 X 50 mtr	1250	1495.03	43	7	50
4	50 X 21.7 to 89 mtr #	2725 to 5025	3260 to 6000	10	4	14
# - Value to be taken as per space available on site.			योग	61	13	74

आवासीय भूखण्ड

क्र.सं.	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	सामान्य भूखण्डों की संख्या	कार्नर भूखण्डों की संख्या	कुल भूखण्डों की संख्या
1	7.5 X 15 mtr	112.5	134.55	95	18	113
2	6 X 12 mtr	72	86.11	13	8	21
3	4.5 X 9 mtr	40.5	48.44	5	4	9
			योग	113	30	143

व्यावसायिक भूखण्ड

क्र.सं.	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	सामान्य भूखण्डों की संख्या	कार्नर भूखण्डों की संख्या	कुल भूखण्डों की संख्या
1	3 X 3 mtr	9	10.76	32	8	40

05. प्रथम चरण में आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों का विवरण, वसूली योग्य दर एवं पंजीयन राशि निम्नानुसार है :–

भूखण्ड टाईप	भूखण्डों का आकार	आकार वर्गमीटर	आकार वर्गगज	पंजीयन राशि रू.	आरक्षित दर (रूपये प्रति वर्गमीटर)
औद्योगिक	42 मी. X 100 मी.	4200	5023.32	4,50,000/–	10,000/–
औद्योगिक	50 मी. X 100 मी.	5000	5980.14	5,00,000/–	10,000/–
औद्योगिक	25 मी. X 50 मी.	1250	1495.03	1,25,000/–	10,000/–
औद्योगिक	50 मी. X 21.7 से 89 मी.	2725 से 5025	3260 से 6000	3,00,000/–	10,000/–

- Value to be taken as per space available on site.

06. योजना की आरक्षित दर

राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 6 के तहत योजना में प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक भूखण्डों की आरक्षित दर रू. 10,000/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है।

07. लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन व्यवस्था

योजना के प्रथम चरण में सामान्य औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा । लॉटरी राज्य सरकार के संस्थान एन.आई.सी. द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी एवं परिणाम जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाये जायेगें ।

08. भूखण्ड आवंटन हेतु पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिये अर्थात आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये।
3. आवेदक या आवेदक की पत्नी/पति/पिता/माता अथवा आवेदक पर आश्रित परिवार के सदस्य अथवा फर्म/संस्थान की स्थिति में भागीदार/सदस्य के पास संपूर्ण भूखण्ड अथवा भाग रूप में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा व्यवसाय हेतु विकसित योजना में कोई भूखण्ड पूर्व में आवंटित नहीं हो।
4. आवेदक के नाम से एक ही आवेदन पत्र का पंजीयन करवाया जा सकता है।
5. यदि आवेदक को पूर्व में किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा रियायती दर पर उद्योग व्यवसाय हेतु भूखण्ड आवंटित किया गया हो परंतु आवेदक द्वारा उस भूखण्ड का दस वर्ष पूर्व विक्रय कर दिया गया हो तो ऐसे आवंटी रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
6. आवेदक का भारत में स्थित किसी भी बैंक में खाता होना चाहिये और आवेदक आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. मानको का पालन किया है।
7. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या (PAN) होना चाहिये।

09. आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि

भूखण्डों के आकार का विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 02 पर देखें।

1. पंजीकरण राशि सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर जो जोधपुर में देय हो का चालान के साथ ही जमा करायी जा सकती है। नकद/चैक स्वीकार नहीं होंगे।
2. पे–आर्डर/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पता, फार्म संख्या, योजना का नाम तथा संपर्क हेतू दूरभाष नं. आवश्यक रूप से अंकित करें।
3. असफल आवेदकों को लॉटरी दिनांक से छः माह तक जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत IFSC कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण, अधूरी जानकारी के अभाव में पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जोविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. मांग पत्र में अंकित राशि के भुगतान की प्रक्रिया

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात शेष बकाया राशि आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर (सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय) चालान द्वारा एकमुश्त जमा करानी होगी।

नोट

1. सफल आवेदकों की मांग राशि निर्धारित अवधि 30 दिवस में जमा नहीं होने की स्थिति में आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस गुजरने के बाद आगामी 60 दिवस तक 09 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
2. **आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में उक्त राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। भूखण्ड निरस्त करने की कोई सूचना पृथक से जारी नहीं की जायेगी।**
3. भूखण्ड आवंटित होने एवं आवंटन पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवंटी भूखण्ड लेने का इच्छुक नहीं है तो उसकी पंजीकरण राशि जब्त

की जायेगी।

11. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा योग्य राशि :–

1. आपको निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबंदी (अरबन असेसमेंट)/लीज राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। शहरी जमाबंदी/लीज राशि वर्तमान आरक्षित दर की 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की जमाबंदी/लीज राशि की राशि अग्रिम जमा करवानी होगी इस राशि के प्रति वर्ष के भुगतान से मुक्त होने के लिये 2.50 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी। फ्री होल्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार अतिरिक्त लीज राशि वसूल करते हुये फ्री होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार लीज राशि जमा नहीं कराने पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज शास्ति वसूल की जायेगी।
2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर, किराया तय करती है वह आवेदक पर भी लागू होगा। आवेदक पर राज्य सरकार एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/विनियम आदेश भी लागू होगें।
3. स्थल मानचित्र के 500/– रू. भूखण्ड की कीमत के अलावा जमा करवाने होगें।

12. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज :–

1. सफल आवेदकों की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकरण आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. असफल आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि 90 दिवसों की समयावधि में प्राप्त कर लेना आवश्यक है, प्राधिकरण के आवेदन राशि जमा करने एवं असफल आवेदनकर्ता को राशि लौटाने हेतु **M.O.U.** अनुसार HDFC BANK को अधिकृत किया गया है। निर्धारित अवधि में आवेदन राशि वापस प्राप्त नहीं होती है तो उक्त बैंक से पत्राचार करें तथा राशि नहीं लौटाने पर प्राधिकरण को अवगत करवाना होगा। विलम्ब के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. असफल आवेदकों को लॉटरी की तिथी से छः माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। आवेदक द्वारा गलत आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं खाते के नाम के कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलंब होने पर प्राधिकरण द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

13. अन्य महत्वपूर्ण शर्ते

1. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये या एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुये सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवेदक स्वयं, पत्नी/पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किय जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवंटी जिस सदस्य का भूखण्ड रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करवानी होगी एवं एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र देना होगा।
3. भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेंगें। एकमुश्त 08 वर्ष की लीज जमा कराने पर यदि आवंटी चाहे तो 02 वर्ष की अतिरिक्त लीज राशि जमा करवाकर आवंटित भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकता है या एकमुश्त राशि (10 वर्ष) जमा करवाकर फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त कर सकता है।
4. सामान्यतया आवंटी आवंटित भूखण्ड का 5 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकता है ।
5. आवंटी को लीजडीड एवं पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा लीजडीड का पंजीयन विभाग में नियमानुसार पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
6. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण संबंधी प्रावधान :– आवंटी को 07 साल की अवधि में भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण करवाना होगा। अगर नियत समयावधि में निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा तथा साथ ही उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल निर्धारित प्रयोजन में ही उपयोग में लिया जा सकेगा अन्य किसी प्रयोजन में नहीं। आवंटन किये गये भूखण्ड का पुनःविभाजित अथवा एक से अधिक भूखण्ड को मिला कर एक बडा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है।

8. नियम विरूद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र व आवंटन निरस्त किया जा कर भूखण्ड के पेटे जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में भूखण्ड के लिये आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

9. आवंटन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इस योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा।

10. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है ।

11. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग माप के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है ।एक से अधिक भूखण्ड माप वर्ग में आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी ।

12. कॉर्नर के भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जायेंगें ।

13. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आंतरिक विकास समतलीकरण सफाई आदि के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।

14. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर ही रहेगा ।

15. आवंटित भूखण्ड पर औद्योगिक इकाई स्थापना से पूर्व केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रचलित प्रभावी नियमों/ अधिनियमों/ विभाग/संस्था/एजेन्सी से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

16 आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये एकीकृत भवन विनियम–2020 के प्रावधानों एवं अन्य विभागों से स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति में लगायी गई शर्तों एवं समय–समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण/संस्था/एजेन्सी के निर्देशों की पालना बाध्यकारी होगी ।

17. आवंटित भूखण्ड का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।अवहेलना पर भूखण्ड मय भवन के बिना किसी मुआवजे के प्राधिकरण द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व में लिया जायेगा ।

18 किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा ।

19. कृपया चालान की सभी प्रतियों में संबंधित जानकारी अवश्य भरें ।

20. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो स्वप्रमाणित कर चिपकाना आवश्यक है।

21. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये है। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते है और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करें, अथवा अंगुठे का निशान आवश्यक रूप से लगाये।

22. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें तथा आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक रूप से भिजवायें ।

23. उद्योग विहार योजना के प्रथम चरण में मात्र सामान्य औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा । शेष आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवेदन एवं आवंटन का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भविष्य में नियमानुसार निर्धारित किया जायेगा । योजना के प्रथम चरण में समाहित कार्नर औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन नीलामी के द्वारा किया जायेगा ।

24. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंको/वित्तीय संस्थानों से त्रिपक्षीय अनुबंध किया जा सकेगा । त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है । त्रिपक्षीय अनुबंध प्राधिकरण द्वारा नियत प्रारूप में ही मान्य होगें ।

25. आवेदन शुल्क 1100/– मात्र (ग्यारह सौ रूपये मात्र)(**Non-refundable**)

26. आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि जमा करवानी होगी ।

27. योजना क्षेत्र में सडकों/विद्युत संबंधी कार्य/स्ट्रीट लाईट/पार्को/सुविधा क्षेत्रों/नालों/ साफ सफाई/रख–रखाव आदि के लिए समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क आवंटी को प्रतिवर्ष अग्रिम जमा करवाना होगा।

28. जोधपुर विकास प्राधिकरण की उद्योग विहार के भूखण्डों पर मास्टर प्लान के प्रस्तावों एवं डी सी आर में अनुज्ञेय उद्योग अनुमत होगें । जिसकी सूची **RIICO Disposal of Land Rules,** 1979 के **FORM B** पर उपलब्ध है ।

29. औद्योगिक भवनों के निर्माण हेतु मानदण्ड रिको के विनियम अनुसार रखे जाने होगें तथा रिको भवन विनियम के अतिरिक्त अन्य मानदण्ड राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के प्रावधान लागु होगें।

30. प्राधिकरण के उद्योग विहार योजना में **Industries falling under caterory A and B as aspecified in the E.IA Notification Dated 14.09.2006 amended up to date** को अनुमत नहीं किया जायेगा। योजना में स्थापति इकाईयों को उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन एवं राजस्थान प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड को नियमानुसार सूचित किया जाना होगा।

31. भूखण्ड आवंटन करने से पूर्व **Rajasthan Pollution Control Bord** से अनापत्ति एवम् केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप आवश्यक होने पर पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी।

32. **NGT** द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

33. प्राधिकरण क्षैत्राधिकार में जहॉ औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नियम नहीं है वहॉ औद्योगिक भूखण्डों के लिये रीको के नियम लागू होगें।

34. रीको डिस्पोजल ऑफ लेण्ड रूल्स, 1979 के अनुसार भूखण्डों का श्रेणीवार निम्नानुार रियायती दर पात्रता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान है :–

S. No.	Category of entrepreneurs	Concession	Copy of Required certificate in support of concession being sought
1.	SC/ST	50%	Caste Certificate issued by competent revenue authority of the state of rajasthan only. (amended vide item (14) of IDC meeting at 25-08-2021)
2.	Ex. serviceman	25%	Certificate of the sainik kalyan board
3.	Dependents of deceased armed forces service personnel/ paramilitary personnel	50%	Certificate of the compentent authority

4.	Persons with benchmark Disabilities	50%	Certificate issued by the certifying authority as per section1(r) of "The Rights of person with disability Act, 2016" or certificate issued by authority under the act of 1995 for more than 40% disability
5.	Woman entrepreneur	25%	Photo, Id proof with address

35. उद्योग विहार योजना के औद्योगिक भूखण्डों की रीको डिस्पोजल ऑफ लेण्ड रूल्स 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत योजना के कॉर्नर भूखण्डों को छोडकर आवंटन योग्य रिक्त औद्योगिक भूखण्डों में से आरक्षित क्षेत्रियो के लिए रीको भू–निपटान नियम 1979 (संशोधित) प्रावधानों के अनुसार एससी/एसटी (SC/ST) श्रेणी के लिए 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों के आरक्षण का प्रावधान है तथा अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों का आरक्षण प्रावधान है आरक्षित भूखण्डों का आरक्षण लॉटरी द्वारा किया गया हैं जो निम्न तालिका में अंकित है :–

S. No.	Category of entrepreneurs	Percentage of total plots	Ceiling of area up to (in sqm)	Plot No.
1	SC/ST	6%	4000	18,24,61
2	Women	5%	2000	11,64
3	Persons with Benchmark Disabilities	3%	2000	15
4	Ex Servicemen	2%	2000	28
5	Dependents of deceased armed forces service personnel/ Paramilitary personnel	1%	2000	62

36. रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत रियायती दर/आरक्षित दर पर आवंटित औद्योगिक भूखण्डों का पांच वर्ष पूर्व बेचान नहीं किया जा सकेगा।

37. प्राधिकरण क्षैत्राधिकार में जहाँ औद्योगिक भूखण्डो के सम्बन्ध में प्राधिकरण के नियम नहीं हैं वहाँ औद्योगिक भूखण्डो के लिये रीको डिस्पोजल लैण्ड ऑफ रूल्स 1979 के नियम लागू होगें।

38. उपरोक्त वर्णित शर्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं आदेश की पालना की जानी होगी तथ राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

14. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद मात्र सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी । योजना से संबंधित जानकारी समय समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in/joda पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाईट का अवलोकन समय समय पर करते रहें।

15. कंट्रोल रूम

योजना के संबंध में पूछताछ हेतु दूरभाष नं. 0291–2656355, 2656356 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

आवेदन पत्र इस पुस्तिका के साथ में दिया गया है और यह पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अधिकृत बैंको की शाखाओं से प्रस्तावित 1100/– रूपये नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। प्राधिकरण कार्यालय की वेबसाईट **www.Jodhpurjda.org** से प्राप्त करने पर आवेदन पुस्तिका शुल्क 1100/– रूपये की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।

16. आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2023 तक बैंक कार्यसमय में उल्लेखित बैंकों की शाखाओं में जमा करवाये जा सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

17. आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।

18. भूखण्ड का आवंटन

आवेदको को उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों के वर्ग के अनुसार लॉटरी निकाली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा जो अंतिम एंव मान्य होगा। लॉटरी निकालने की प्रस्तावित दिनांक का समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने की व्यवस्था की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा।

कृपया आवेदन पत्रों में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता स्पष्ट एवं बडे अक्षरों में लिखे। संयुक्त नाम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगें।

19. आवेदन पत्र भरने के लिये विशेष निर्देश

1. आवेदक अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें ।
2. आवेदक अपने पिता अथवा पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
3. आवेदक अपने मनोनीत व्यक्ति का नाम एवं विवरण स्पष्ट रूप सें अंकित करें।

4. आवेदक आवेदन पत्र के संबंधित बिन्दु संख्या में भूखण्ड के आकार के समक्ष सही कॉलम में टिक करें । गलत वर्ग में टिक/आवेदन करने की स्थिति में जमा पंजीकरण राशि जब्त की जाकर किसी भी स्टेज पर (आवंटन के पश्चात भी)आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।

5. आवेदक अपना पैन नम्बर आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करें।

6. आवेदक आवेदन पुस्तिका आवेदन पत्र के साथ तय पंजीकरण राशि डी.डी. का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण अंकित करें एवं साथ में उक्त डी.डी. की फोटो प्रति भी चालान के साथ संलग्न करें।

7. आवेदक अपना पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित करें। इस संबंध में आवेदक अपना मोबाईल नं., स्थाई पता एवं ईमेल का पता भी अवश्य अंकित करें।

8. प्रार्थी रिफण्ड हेतु बैंक शाखा का MICR & IFSC कोड भी आवश्यक रूप से अंकित करें।

9. सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

   1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
   2. निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र।

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

आवेदन करने से पूर्व योजना की निर्देशिका को भली-भांति पढ़ व समझ ले तत्पश्चात आवेदन निम्नानुसार प्रारंभ करे -

1. सर्वप्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण की अधिकारिक वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in/joda खोले तथा उसमें उद्योग विहार योजना पर क्लिक करे।
2. आवेदक को योजना का विवरण दिखेगा तत्पश्चात् आवेदक योजना पर क्लिक करे।
3. ऑनलाईन आवेदन में आपको अपने मोबाईल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। जिसका **ONE TIME PASSWORD (OTP)** आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा।
4. सर्वप्रथम आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी जिसके अंतर्गत निम्न विवरण भरें-
   - ❖ आवेदक का अपना नाम
   - ❖ पिता/पति का नाम
   - ❖ जन्म तिथि
   - ❖ पेन कार्ड संख्या
   - ❖ आधार कार्ड सख्ंया
   - ❖ जन आधार कार्ड संख्या
   - ❖ पत्र व्यवहार का पता/स्थाई पता
   - ❖ आवेदक का व्यवसाय
5. आवेदक अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अंकित करे जिसमें खाता संख्या, बैंक/बैंक शाखा, आई.एफ.एस.सी. कोड भरे।
6. आवेदक का मृत्यु की स्थिति में अपने मनोनयन का विवरण भरे।
7. उसके पश्चात आवेदक को अपनी फोटो, एक पहचान पत्र (आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई एक) तथा निम्न दस्तावेज अपलोड करे।
   - ❖ फोटो की अधिकतम साइज 100 KB
   - ❖ पहचान पत्र अधिकतम साइज 500 KB
   - ❖ मूल निवास प्रमाण पत्र अधिकतम साइज 500 KB
   - ❖ शपथ पत्र अधिकतम साइज 500 KB
   - ❖ निरस्त चैक की प्रति
8. उसके पश्चात **SUBMIT** बटन पर क्लिक करने पर आपको भरे हुए फॉर्म का विवरण दिखेगा अगर फॉर्म में परिवर्तन करना हो तो **EDIT** बटन पर क्लिक करे। यदि भरे हुए फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है तो **FINAL SUBMIT** बटन पर क्लिक करें। **FINAL SUBMIT** बटन पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
9. उसके पश्चात भुगतान निम्न विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता हैं
   - ❖ ऑनलाईन भुगतान (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग)
   - ❖ ऑफलाइन भुगतान (चालान द्वारा संबंधित बैंक में जमा किया जा सकता है)
10. भुगतान के पश्चात फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले।
11. राशि जमा होने पर ही आवेदक का फॉर्म एक्टिव होगा तथा लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
12. फॉर्म भरने या भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आने पर ई-मेल **jdajodhpur-rj@nic.in** पर संपर्क कर सकते है।
13. योजना संबधित नवीनतम जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in/joda देखें।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

फोन न. 0291-2656356

वेबसाईट - www.jda.urban.rajasthan.gov.in/joda

आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि

जोधपुर शहर में HDFC BANK की सूची

Branch Code	Branch Name	IFSC	MICR	Branch address	Pincode
1420	Basni Industrial Area - Jodhpur	HDFC0001420	342240004	HDFC BANK LTD, RATHI CHAMBERS, BASANI INDUSTRIAL AREA, JODHPUR, RAJASTHAN	342005
142	Jodhpur-Rajasthan	HDFC0000142	342240002	57 B, 9TH CHOPASANI ROAD, ., ., JODHPUR, RAJASTHAN	342003
5158	Ratanada - Jodhpur	HDFC0005158	342240008	HDFC BANK LTD, GK TOWER, PLOT NO 4, AIRPORT ROAD, RATANADA CIRCLE, JODHPUR, RAJASTHAN	342011
6542	Bhadwasiya	HDFC0006542	342240011	HDFC Bank Ltd., Ground Floor, 29/A, Baba Ramdev Nagar, Khasra No.69-76, Near Krishi Upaj Mandi, Bhadwasiya, Jodhpur, Rajasthan - 342006.	342006
7017	First Puliya, CHB Road	HDFC0007017	342240010	HDFC Bank Ltd., Ground Floor. Plot No-487. Kamla Nehru Nagar, CHB Road, Jodhpur, Rajasthan - 342003.	342003
9647	Akhaliya Circle	HDFC0009647	342240009	HDFC BANK LTD, A 30, 32, 33, VIDYA TOWER, AKHALIYA CIRCLE, JODHPUR, JODHPUR, RAJASTHAN	342003
986	Paota-Jodhpur	HDFC0000986	342240003	HDFC BANK LTD, KESHAV COMPLEX, PLOT NO -15, NIMBERA HOUSE, MANDORE ROAD, PAOTA, JODHPUR, RAJASTHAN	342001
1845	Nai Sadak	HDFC0001845	342240005	HDFC BANK LTD, 12 & 37, STADIUM SHOPPING CENTRE, OPP UMAID STADIUM, JODHPUR, RAJASTHAN	342001
2660	Jodhpur Pal Road	HDFC0002660	342240006	HDFC BANK LTD, 1, NARPAT NAGAR, PAL ROAD, JODHPUR, RAJASTHAN	342008
5118	Kuri Bhagtasani, Jodhpur	HDFC0005118	342240015	HDFC Bank Ltd. Ground Floor 05H-14, Kuri Bhagtasani Housing Board,Jodhpur, Rajasthan	342005
6693	DPS Circle ,Pal Gaon	HDFC0006693	Awaiting	HDFC Bank LTD , Ground Floor , 5-D, Khasra No.101 ,Village Pal ,Jodhpur Rajasthan	342008
7159	Shastri Circle	HDFC0007159	342240014	HDFC Bank Ltd., Ground Floor, 27/39 & 40, Light Industrial Area, Adarsh Socirty. Near Shastri Circle. Jodhpur. Rajasthan -	342003
9067	Uchiyarda Jodhpur	HDFC0009067	342240026	HDFC BANK LTD., OPPOSITE VIDHYASHRAM SCHOOL, UCHIYARDA, JODHPUR, RAJASTHAN, JODHPUR, RAJASTHAN	342001
4204	Sangariya	HDFC0004204	342240102	HDFC BANK LTD., GEHLOT MARKET MAIN SANGARIYA FATA ROAD, MALIYON KI DHANIYA, SANGARIYA JODHPUR, RAJASTHAN	342005

मूल निवास प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/सुश्री ....
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....
निवासी ....
नगर/ग्राम .... जिला ....
राज्य .... का मूल निवासी है।

स्थान :
दिनांक :

उप जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत अधिकारी/
तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मोहर

शपथ – पत्र (समस्त आवेदको के लिए)

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ....
आयु .... निवासी ग्राम/नगर .... तहसील .... जिला ....
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि –

1. मैं राजस्थान का मूल (बोनाफाईड) निवासी हूं।
2. मैं राजस्थान RIICO Disposal of Land Rules, 1979, राजस्थान नगरीय निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 एवं राज्य सरकार तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों को स्वीकार करता/करती हूं।
3. मुझे या मेरे/मेरी पति/पत्नी/पिता/माता/अथवा मुझ पर आश्रित परिवार के सदस्य अथवा फर्म/संस्थान की स्थिति में भागीदार/सदस्य के पास संपूर्ण अथवा भाग रूप में अथवा कोई पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा उद्योग व्यवसाय हेतु विकसित योजना में कोई भूखण्ड आवंटित नहीं है।
4. मुझे पूर्व में किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा रियायती दर पर उद्योग व्यवसाय हेतु भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।
5. मेरे द्वारा पूर्व में किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा रियायती दर पर उद्योग व्यवसाय हेतु आवंटित भूखण्ड का पांच वर्ष पूर्व विक्रय नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा आवेदन पत्र का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन की पूर्ति स्वयं मेरे द्वारा की गई है। आवेदन में दी गई समस्त सूचनाओं/घोषणाओं के लिय मैं स्वयं जिम्मेदार हूं।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री .... शपथ पूर्वक सत्यापित करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है तथा किसी भी तथ्य अथवा सूचना को छुपाया नहीं गया है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता अनुसार संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पत्नी/पुत्र श्री ....ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली है।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ पत्र 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना के आवेदन फार्म की चैक लिस्ट (आवेदक को भरनी है।)

आवेदन पत्र क्रमांक : ....

बिन्दु संख्या	विवरण	हाँ (✓)
1	आवेदक का नाम फार्म में हिन्दी व अंग्रेजी में (केपिटल लेटर) में लिखा है।	
2	आवेदक के पिता या पति का नाम फार्म में हिन्दी व अंग्रेजी में (केपिटल लेटर) में लिखा है।	
3	आवेदक द्वारा मनोनीत व्यक्ति का नाम, आयु, संबंध फार्म में लिखा है।	
4	आवेदक द्वारा चस्पा फोटो स्वप्रमाणित है।	
5	आवेदक के परिवार की सकल मासिक आय फार्म में लिखी है।	
6	आवेदक का पेन नं. एवं आधार कार्ड नं. फार्म में लिखा है।	
7	आवेदक ने परिवार की सकल आय अनुसार एक ही वर्ग में टिक किया है।	
8	आवेदक ने आरक्षित श्रेणी में किसी एक वर्ग में टिक (✓) किया है। अन्य को क्रास (X) किया है।	
9	ड्राफ्ट संख्या, दिनांक, राशि, बैंक नाम, शाखा, शहर फार्म में भर दिया है।	
10	पत्र व्यवहार का पता फार्म में भर दिया है।	
11	स्थाई पता फार्म में भर दिया है।	
12	बैंक का निरस्त चैक सलंग्न करना आवश्यक है।	
13	रिफंड हेतु आवेदक के बैंक का खाता, बैंक का नाम, शाखा का नाम, शहर का नाम एवं बैंक का एम.आई.सी.आर. नं. एवं IFSC सही भर दिया है।	
14	संलग्न दस्तावेजों की सूची में टिक (✓) लगाकर दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं।	
15	आवेदक द्वारा फार्म के अंत में हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कर दिये हैं। दिनांक व स्थान भर दिये हैं।	
16	चैक लिस्ट संलग्न कर दी है।	

(आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है)

हस्ताक्षर आवेदक

आवेदक का नाम

कार्यालय उपयोग हेतु | | | |

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना में भूखण्ड के पंजीकरण हेतु

आवेदन - पत्र

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र क्रमांक ____________________

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....

Applicant's Name
(English Capital Letters) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(Surname) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट: रिफण्ड/आवंटन इसी नाम से किया जावेगा अत: नाम सही भरें

फोटो 6 माह से पुराना न हो।

स्वप्रमाणित

2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....

Applicant's Father's/
Husband's Name
(English Capital Letters) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(Surname) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

पत्र व्यवहार का पता
Corresponding Address
प्लॉट नं. .... कॉलोनी का नाम ....

गांव/शहर .... तहसील/जिला ....

राज्य .... पिन कोड नम्बर .... मोबाईल नं. .... फोन नं. ....

ई-मेल पता ....

3. मनोनीत व्यक्ति का नाम, आयु व आवेदक से संबंध

नाम	आयु .... वर्ष	संबंध ....

4. परिवार की सकल वार्षिक आय (रू.) | | | | | | | | |

5. पेन नम्बर | | | | | | | | | | |

6. आधार कार्ड नम्बर | | | | | | | | | | | | |

7. आवेदक आय वर्ग सावधानी पूर्वक आय के अनुरूप ही ब्लॉक ☐ में टिक करें। भिन्न आय वर्ग अंकित करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा

क्र.सं.	भूखण्डों का आकार	आकार वर्ग मीटर	आकार वर्गगज	सामान्य भूखण्डों की संख्या	आवेदित भूखण्ड हेतु संबंधित आकार के सामने किसी एक कॉलम में यहाँ टिक करें
1	42 X 100 mtr	4200	5023.32	1	
2	50 X 100 mtr	5000	5980.14	7	
3	25 X 50 mtr	1250	1495.03	43	
4	50 X 21.7 to 89 mtr	2725 to 5025	3260 to 6000	10	

- Value to be taken as per space available on site.

कृ.पृ.उ.

8. आरक्षित श्रेणी में प्रथम कॉलम में किसी एक वर्ग में ही टिक (✓) अंकित करें एवं तत्पश्चात् द्वितीय कॉलम में संबंधित वर्ग शब्दों में भी लिखें। अन्य सभी कॉलम X क्रॉस करें। आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

अनु.जाति/अनु. जनजाति | | | महिला उद्यमी | | |

भूतपूर्व सैनिक | | | दिव्यांग | | | सामान्य | | |

सशस्त्र बलों के मृतक आश्रित | | |

9. बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट नं. | | | | | | | दिनांक | | /| | /| | | | | राशि | | | | | |

बैंक का नाम जहां से ड्राफ्ट बनवाया गया .... शाखा .... शहर ....

बैंक का नाम जहां फार्म जमा करवाया गया .... शाखा .... शहर ....

10. स्थाई पता :- ....

....

11. रिफण्ड हेतु आवेदनकर्ता निम्नलिखित सूचनाऐं अंकित करें (सहकारी बैंक के खाते के लिये यह सुविधा नहीं है):-

आवेदनकर्ता के बैंक खाता सं. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

बैंक का नाम | | शाखा | | शहर/जिला | |

बैंक शाखा का MICR नं. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

बैंक का IFSC Code No. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(कृपया बैंक शाखा का MICR एवं IFSC Code No. सही अंकित करें ताकि रिफण्ड लेने में आसानी हो)

12. संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

क्र.सं.	संलग्न दस्तावेजों की सूची	संलग्न दस्तावेजों के आगे (✓) का चिन्ह लगावें
1	शपथ-पत्र निर्धारित प्रपत्र में	
2	मूल निवास प्रमाण-पत्र	
3	अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र	
4	सैनिक/सैनिक की विधवाओं/विकलांग सैनिक के लिये प्रमाण पत्र	
5	नि:शक्तता का प्रमाण प्त्र	
6	निरस्त चैक की प्रति	
7	कुल संलग्न दस्तावेज (अंकों एवं शब्दों में लिखें)	

मै यह प्रमाणित करता/करती हुं मैने योजना में भूखण्ड आवंटन से संबंधित सभी शर्ते भली प्रकार से पढ ली है तथा मुझे सभी शर्ते व नियम स्वीकार है। मै प्रमाणित करता/करती हुं की मैने आवेदन पत्र में उपरोक्त वर्णित समस्त सूचनायें मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही है इसमें कोई भी तथ्य गलत अंकित नही किये गये है तथा ना ही किसी तथ्य को छिपाने का प्रयास किया गया है।

दिनांक :

स्थान :

....

आवेदक के हस्ताक्षर

(प्राधिकरण की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक	दिनांक

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

आवेदक का वर्ग ....

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल ....

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं. ....

दिनांक ....
(जहां से बनवाया)

बैंक का नाम एवं शाखा ....

जमा राशि (अंकों में) | | | | | |

शब्दों में ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-
1. ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
2. केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होगें।

(प्राधिकरण की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक	दिनांक

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

आवेदक का वर्ग ....

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल ....

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं. ....

दिनांक ....

बैंक का नाम एवं शाखा ....

जमा राशि (अंकों में) | | | | | |

शब्दों में ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-
1. ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
2. केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होगें।।

(बैंक की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक	दिनांक

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

आवेदक का वर्ग ....

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल ....

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं. ....

दिनांक ....

बैंक का नाम एवं शाखा ....

जमा राशि (अंकों में) | | | | | |

शब्दों में ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-
1. ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
2. केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होगें।

(आवेदक की प्रति)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उद्योग विहार योजना

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

चालान क्रमांक	दिनांक

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

आवेदक का वर्ग ....

आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल ....

ड्राफ्ट/बैंकर चैक का नं. ....

दिनांक ....

बैंक का नाम एवं शाखा ....

जमा राशि (अंकों में) | | | | | |

शब्दों में ....

....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-
1. ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता, फार्म नं. एवं आवेदित वर्ग अवश्य लिखें
2. केवल ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पे-आर्डर सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पक्ष में देय स्वीकार्य होगें।

जोधपुर महानगर बनने की ओर अग्रसर
जोधपुर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर।

उद्योग विहार योजना के मुख्य आकर्षण

- ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में अवस्थित है।
- उक्त योजना सांगरिया चौराहा से सालावास जाने वाली मुख्य सड़क पर रिंग रोड़ से मात्र 7 किमी. दूर स्थित है।
- उक्त योजना प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के समीप स्थित है।
- औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा एवं सालावास से महज आवागमन दूरी पर स्थित है।
- सालावास रेलवे स्टेशन से महज 5 किमी. दूरी पर स्थित है।
- शताब्दी सर्कल एवं उच्च न्यायालय से मात्र 11 किमी. दूरी पर स्थित है।

विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
- राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- फुटवियर डिजाइन व डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट
- सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- आयुर्वेद विश्वविद्यालय
- उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र
- भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र
- शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र

प्राधिकरण की परियोजनाएँ

- विज्ञान नगर आवासीय योजना
- मण्डलनाथ आवासीय योजना
- ई–ऑक्शन लागू
- GIS मेपिंग व्यवस्था
- रिक्तिया भैरूजी मल्टीलेवल ओवरब्रिज
- सारण नगर आर.ओ.बी. निर्माण
- फाईल मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू
- अरणा विहार आवासीय योजना
- झरणा विहार आवासीय योजना
- मुख्यमंत्री जनआवास योजना

Printed by Shanta Printers & Stationars, Jodhpur # 0291-2755321